रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2011/भाद्र 4, 1933
No. 480] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2011/BHADRA 4, 1933

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2011

**सा.का.नि. 647(अ).**—कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कयर बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्नलिखित उप-नियमों को, कयर बोर्ड (सेवा) उप-नियम, 1983 में और संशोधन करने और केन्द्र सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने पर उक्त अधिनियम की उक्त धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा यथापेक्षित प्रकाशित किया जाता है, नामत: :—

1. (1) इन उप-नियमों को कयर बोर्ड (सेवा) संशोधन उप-नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. कयर बोर्ड (सेवा) उप-नियम, 1983 की अनुसूची में, विस्तार सेवा अधिकारी के पद से संबंधित कॉलम 8 और 10 में मौजूद प्रविष्टियों को क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

**अनुसूची**

| 8 | 10 |
|---|---|
| "विस्तार सेवा सहायक अथवा रंगाई सहायक अथवा तकनीकी सहायक (कताई/रँगाई/परीक्षण) अथवा अनुसंधान सहायक अथवा बुनाई सहायक अथवा निरीक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। | विस्तार सेवा सहायक अथवा रँगाई सहायक अथवा तकनीकी सहायक (कताई/रँगाई/परीक्षण) अथवा अनुसंधान सहायक अथवा बुनाई सहायक अथवा निरीक्षक" |

[फा. सं. 2(7)/2011-कयर]

अमरेन्द्र सिन्हा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :**— मूल उप-नियमों को भारत के राजपत्र में तारीख 17 दिसम्बर, 1983 के सं. का.आ. 4481 के तहत प्रकाशित किया गया था और निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत् संशोधित किया गया :—

(1) का.आ. 4893 तारीख 19-10-1985;
(2) का.आ. 158 (अ), तारीख 3-3-1987;
(3) का.आ. 187 (अ), तारीख 15-3-1989;
(4) का.आ. 900 (अ), तारीख 2-11-1989;
(5) का.आ. 5(अ), तारीख 2-1-1990;
(6) का.आ. 460(अ), तारीख 6-6-1990;
(7) का.आ. 60(अ), तारीख 21-1-1992;
(8) का.आ. 304(अ), तारीख 30-4-1992;
(9) का.आ. 154(अ), तारीख 27-2-1997;
(10) सा.का.नि. 484 (अ), तारीख 18-8-2006;
(11) सा.का.नि. 429(अ), तारीख 17-6-2009;
(12) सा.का.नि. 846 (अ), तारीख 26-11-2009.

## MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2011

**G.S. R. 647 (E).**—The following Bye-laws made by the Coir Board, in exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), further to amend the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983 and confirmed by the Central Government are hereby published as required by sub-section (2) of the said section 27 of the said Act, namely :—

1. (1) These bye-laws may be called the Coir Board (Services) Amendment Bye-laws, 2011

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983, in columns 8 and 10 relating to the post of Extension Service Officer for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

**SCHEDULE**

| 8 | 10 |
|---|---|
| "Experience as Extension Service Assistant or Dyeing Assistant or Technical Assistant (Spinning/ Dyeing/Testing) or Research Assistant or Weaving Assistant or Inspector for a period of three years | Extension Service Assistant or Dyeing Assistant or Technical Assistant (Spinning/Dyeing/Testing) or Research Assistant or Weaving Assistant or Inspector". |

[F. No. 2(7)/2011-Coir]

AMARENDRA SINHA, Jt. Secy.

**Note:**—The principal Bye-laws were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 4481, dated the 17th December, 1983 and amended, *vide*, notification numbers, —

(i) S.O. 4893, dated 19-10-1985;
(ii) S.O. 158 (E), dated 3-3-1987;
(iii) S.O. 187 (E), dated 15-3-1989;
(iv) S.O. 900(E), dated 2-11-1989;
(v) S.O. 5(E), dated 2-1-1990;
(vi) S.O. 460(E), dated 6-6-1990;
(vii) S.O. 60(E), dated 21-1-1992;
(viii) S.O. 304(E), dated 30-4-1992;
(ix) S.O. 154(E), dated 27-2-1997;
(x) G.S.R. 484(E), dated 18-8-2006;
(xi) G.S.R. 429(E), dated 17-6-2009;
(xii) G.S.R. 846(E), dated 26-11-2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.